समक्ष अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपस्थित ::– राजेन्द्र कुमार–IV,एच0जे0एस0,––––अध्यक्ष ।

अन्तरण प्रार्थना–पत्र संख्या–151/18–––––––– वर्ष 08–09

मैसर्स अंशुल ट्रेडिंग कम्पनी,बाई पास रोड खेरागढ़, आगरा।

बनाम

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिनिधित्व :– (आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ)

(विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ)

आदेश

पत्रावली पेश हुई।

यह अन्तरण प्रार्थना–पत्र सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–2 आगरा के समक्ष लम्बित द्वितीय अपील संख्या–377/15 वर्ष 08–09 (प्रवेश कर) में पारित स्थगन आदेश के संदर्भ में प्रतिभूति बान्ड को दाखिल करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत **प्रार्थना–पत्र** को, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–प्रथम आगरा को अन्तरित किये जाने हेतु आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

अन्तरण प्रार्थना–पत्र की सुनवाई हेतु प्रेषित नोटिस पत्रवाहक की रिर्पोट के अनुसार फर्म के अधिवक्ता श्री वी0के0अग्रवाल पर तामील है,किन्तु सुनवाई हेतु नियत तिथि 24.5.18 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र दिया गया। विपक्षी विभाग की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के परिशीलन के उपरान्त अन्तरण प्रार्थना–पत्र का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जा रहा है।

अन्तरण प्रार्थना–पत्र में उल्लेख किया गया है कि अधिकरण के स्थगन आदेश दिनांक 19.8.15 द्वारा विवादितकर की 50 प्रतिशत धनराशि की वसूली इस शर्त के साथ स्थगित की गयी थी, कि प्रार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष संतोषानुसार पर्याप्त प्रतिभूति जमा कर दें। अधिवक्ता के स्तर से भूल वश बंधक पत्र समय से दाखिल नहीं किया जा सका, जिसे दिनांक 28.10.17 को वाणिज्य कर कार्यालय में दाखिल कर दिया गया। अतः बंधक पत्र दाखिल करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु व्यापारी की ओर से सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–द्वितीय आगरा में प्रार्थना–पत्र दिया गया, किन्तु सदस्य पीठ–2 आगरा रिक्त है, इस कारण प्रार्थना–पत्र का निस्तारण नहीं हो पा रहा, जिसे सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–प्रथम आगरा, को निस्तारण हेतु अन्तरित कर दिया जाये।

अन्तरण प्रार्थना–पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर विचार किया गया। वर्तमान में सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–द्वितीय, आगरा में पीठासीन अधिकारी कार्यरत हो गये हैं। ऐसी स्थिति में सदस्य पीठ–2 आगरा रिक्त होने के तथ्य के आधार पर आवेदक की ओर से दिया गया विचाराधीन अन्तरण प्रार्थना–पत्र अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

तद्नुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

दिनांकः 24 :मई--2018 ह0 24.5.18

(राजेन्द्र कुमार–IV)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकनः: वा0क0अधि0/अपील अन्तरण / /2018 दिनांकः मार्च–2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–2 आगरा।
2-- राज्य प्रतिनिधि,पूर्ण पीठ, लखनऊ।
3– आवेदनकर्ता ।

आज्ञा से

मुन्सरिम,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।